यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून के माह 09/2014 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, पर्यवेक्षक, श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री कृपाल सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2021 से 25.01.2021 तक श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री रविन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 24.09.2014 से 27.09.2014 तक श्री अनिल कुमार जैन, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमे माह 08/2005 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2014 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: देहरादून।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है -

(रु. लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		अधिक्य(+)	बचत(-)
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	177.81	157.71	376.00	37.07	-	20.62
2015-16	189.58	161.06	40.32	40.15	-	28.69
2016-17	217.23	179.87	49.02	45.61	-	40.77
2017-18	230.68	201.53	50.30	46.91	-	32.54
2018-19	212.50	183.19	60.52	54.01	-	35.82
2019-20	155.99	155.99	66.50	56.85	-	09.64
2020-21 (up to 12/2020)	114.17	114.17	50.83	30.74	-	20.09

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है-

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)**
2014-15					
2015-16					
2016-17			शून्य		
2017-18					
2018-19					
2019-20					
2020-21 (up to 12/2020)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इकाई कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून 'सी' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है-

प्रधानाचार्य
विभागाध्यक्ष
प्रवक्ता
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय अधीक्षक/लेखाकार
सहायक प्रवक्ता/अनुदेशक/पुस्तकालयाध्यक्ष/आशुलिपिक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017, 03/2019, 06/2019 एवं 09/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

---------शून्य--------

भाग दो (ब)

प्रस्तर 01:- राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान का दोषपूर्ण संचालन।

राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून को वित्तीय वर्ष 2007-08 से डिप्लोमा से चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, दिल्ली द्वारा 60 सीटों का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून को शिक्षण सत्र 2018-19 तक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में सहायक प्रोफैसर, असोसिएट प्रोफैसर. वरिष्ठ प्रोफैसर एवं प्राचार्य/निदेशक की तैनाती की जानी चाहिए। विभाग द्वारा राज्य स्थापना से अब तक संस्थान में शिक्षण शुल्क रु 7000 प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 से टिहरी जनपद में भी एक State Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition का संचालन किया जा रहा था, जिसमे वार्षिक शुल्क रु (रु 20000 प्रवेश शुल्क, रु 8000 प्रति सेमेस्टर हॉस्टल शुल्क (8000x2=16000) तथा रु 3000 प्रति माह (3000x12=36000) भोजन शुल्क) 72000 लिया जा रहा था। संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नानुसार पद स्वीकृत किए गए थे:-

पद का नाम	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**रिक्तियाँ**
विभागाध्यक्ष	02	02 (100%)
प्रधानाचार्य	01	01 (100%)
प्रवक्ता	06	06 (100%)
सहायक प्रवक्ता	06	04 (66%)
अनुदेशक	06	03 (50%)

विगत पाँच वित्तीय वर्षों में अनुमोदित 60 सीटों के सापेक्ष संस्थान में निम्नानुसार प्रवेश दिये गए:-

वित्तीय वर्ष	**संस्थान में प्रवेश पाने पाले छात्रों की संख्या**	**कुल अनुमोदित 60 सीटों के सापेक्ष प्रवेश में कमी**
2016-17	40	20 (33%)
2017-18	45	15 (25%)
2018-19	53	07 (11.66%)
2019-20	50	50 (16.66%)
2020-21	39	21 (35 %)

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि संस्थान की स्थापना, यहाँ तक कि संस्थान के डिप्लोमा से डिग्री में परिवर्तित होने के 14 वर्ष बाद भी शिक्षण शुल्क पुनरीक्षित नहीं किया गया, दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 से टिहरी जनपद संचालित State Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition संस्थान में वार्षिक शुल्क रु 72000 लिया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा विगत पाँच वर्षों में राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून द्वारा विद्यार्थियों से लिए गए शुल्क की टिहरी के

राजकीय संस्थान के वार्षिक शुल्क दर से तुलना की गयी, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष	**संस्थान में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या**	**संस्थान को प्राप्त शुल्क (रु में)**	**तहरी के अनुसार रु 72000 के अनुसार प्राप्त होने वाला शुल्क**	**टिहरी की शुल्क संरचना के अनुसार कम शुल्क लेने के कारण प्राप्ति में कमी (रु लाख में) (4-3)**
1	2	3	4	5
2016-17	40	268100	40x72000=28.80 लाख	26.12
2017-18	45	286575	45x72000=32.40 लाख	29.53
2018-19	53	300415	53x72000=38.16 लाख	35.16
2019-20	50	341300	50x72000=36.00 लाख	32.59
2020-21	39	131500	39x36000(06 माह)=14.04 लाख	12.72
योग				**136.08**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि यदि देहरादून संस्थान में भी टिहरी के संस्थान के बराबर शुल्क लिया गया होता तो संस्थान को रु 136.08 लाख की अतिरिक्त प्राप्ति होती, इस तरह संस्थान के वार्षिक शुल्क के टिहरी संस्थान के अनुसार पुनरीक्षण न किए जाने के कारण संस्थान को रु. 136.08 लाख की प्राप्ति की हानि हुई।

संस्थान के डिप्लोमा से डिग्री में उन्नयन के पश्चात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा- निर्देशों के अनुसार पदों हेतु पुनर्गठन नहीं किया गया। वर्तमान में संस्थान के डिग्री में परिवर्तित होने से पूर्व डिप्लोमा स्तरीय संरचना के अनुसार भी स्वीकृत शिक्षकों के पदों में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक रिक्तियाँ थी। इसके अतिरिक्त संस्थान के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 56% रिक्तियां थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन करते हुए संस्थान में सहायक प्रोफेसर, असोसिएट प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रोफैसर एवं प्राचार्य/निदेशक की तैनाती हेतु ठोस कदम नहीं उठाए गए। विगत पाँच वर्षों में 11.66 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक सीटें खाली रही। शिक्षण सत्र 2018-19 के बाद से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया। संस्थान में इन कमियों के चलते शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट से इंकार नहीं किया जा सकता। इस सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संस्थान के संचालन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तथा संस्थान के संचालन को गंभीरता से न लेते हुए शिथिलता वरती जा रही थी। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संस्थान का दोषपूर्ण संचालन किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रधानाचार्य ने उत्तर दिया कि टिहरी के राजकीय संस्थान का शुल्क निर्धारण शासन स्तर से किया गया है, देहरादून संस्थान के शुल्क पुनरीक्षण हेतु समय-समय पर निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, संस्थान के पुनर्गठन व रिक्तियों के भरे जाने हेतु कार्यवाही निदेशालय स्तर पर गतिमान है व वर्ष 2018-19 के बाद संस्थान में अंडर ग्रेजुएट के कोर्स संचालन के अनुमोदन कार्यवाही कि गयी है, अनुमोदन अपेक्षित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकि संस्थान के डिप्लोमा से डिग्री में उन्नयन के 14 वर्ष बाद भी संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन कर रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्तियाँ नहीं की गईं, राज्य स्थापना से अब तक संस्थान के वार्षिक शुल्क का पुनरीक्षण नहीं किया गया।
अतः राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून के दोषपूर्ण संचालन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 02:- बैंक खातों मे रु० 5.13 लाख की धनराशि का अवरोधन।

Rule 189 (b) of Receipt & Payments, 1983 provided that at the close of March each year all deposits or balances in excess of twenty five Rs, unclaimed for more than three complete years, shall be credited to the Government. अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलाजी एवं एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान द्वारा प्रधानाचार्य के नाम से तीन बैंक खाते खोले गए थे एवं उक्त तीनों खातों में क्रमशः विद्यार्थियों से प्राप्त हॉस्टल सेक्युर्टी, संस्थान सेक्युर्टी एवं स्पोर्ट्स शुल्क तथा परीक्षा शुल्क की धनराशि जमा की जा रही थी। उक्त खातों में निम्नानुसार धनराशि जमा पड़ी हुई थी:

क्रम संख्या	खाता संख्या	धनराशि	बैंक का नाम	दिनांक
1	3908002100022665	169831.00	पंजाब नेशनल बैंक, पार्क रोड, देहरादून	29.12.2020
2	1516002100010173	182802.00	पंजाब नेशनल बैंक, पटेल नगर, देहरादून	01.11.2020
3	1516002100010164	160115.00	-तदैव-	01.11.2020
		513748.00		

आगे, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों ने अपना कोर्स 2017-18 तक समाप्त कर संस्थान छोड़ दिया था और उनके द्वारा सिक्यूरिटी की धनराशि वापस प्राप्त करने का दावा नही किया गया था वह धनराशि न तो उनको वापस की गयी और न ही नियमानुसार तीन सालों के बाद वापसी हेतु दावा न किए जाने के कारण शासकीय खाते में जमा की गयी थी। इस कारण से रु 5.13 लाख की धनराशि जो उक्त बैंक खातों में खाता खोले जाने की तिथि से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 2017-18 से पूर्व तक की धनराशि अब तक अवरूद्ध थी।
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि लेखापरीक्षा दल द्वारा इंगित आपत्ति के अनुपालन में तीन वर्षों बाद वापसी हेतु दावा न किये जाने के बाद खाते में लंबित धनराशि को शासकीय राजकोष में जमा करने की कार्यवाही की जा रही है।
अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
41/2014-15	शून्य	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-	-	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य- शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमिततायें: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष/डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री आर.सी. पाण्डेय	प्रधानाचार्य	01.04.2014	31.07.2018
2.	डॉ. श्रीमती आभा भट्ट	संयुक्त निदेशक पर्यटन, मुख्यालय	31.08.2018	12.03.2019
3.	श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त	वरि. शोध अधिकारी, मुख्यालय	13.03.2019	02.04.2019
4.	डॉ. श्रीमती आभा भट्ट	संयुक्त निदेशक पर्यटन, मुख्यालय	03.04.2019	12.08.2019
5.	श्री जितेन्द्र कुमार, पी.सी.एस.	उप निदेशक पर्यटन, मुख्यालय	13.08.2019	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एवं एप्लाईड़ न्यूट्रीशन संस्थान, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III